



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबंदी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	परतो क-का-35	18	रवीम सिंह पुत्र पन्ना सिंह रत्न $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$	रवीम सिंह दत्त पुत्र पन्ना सिंह $\frac{1}{2}$ रत्न

(*Sham*)

पीठासीन अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा.कलक्टर
 दिनांक:-

क्रमांक:- 10026/85
 प्रतिलिपि:-

01. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
02. प्रार्थी श्री रवीम सिंह पुत्र पन्ना सिंह को सूचनार्थ।
03. रक्षित पत्रावली।

(*Sham*)

पीठासीन अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा.कलक्टर